फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री उदयलाल | **विपक्षी : श्री सीताराम**

किस्म मुकदमा –53,88 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 80/07**

जीसीएमएस : 2007/00010

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 10.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 मय स्वयं प्रतिवादी संख्या 2 अनुपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र वाद व प्रतिवाद विड्रो के पेश किये। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वाद व प्रतिवाद विड्रो के पेश कर वाद व प्रतिवाद को इसी स्तर पर विड्रो किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को प्रार्थना पत्र वाद व प्रतिवाद विड्रो पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र वाद व प्रतिवाद विड्रो को पढकर अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया।

चूंकि अधिवक्ता उभय पक्षकारान अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वाद व प्रतिवाद को इसी स्तर पर विड्रो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद व प्रतिवाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद व प्रतिवाद विड्रो का स्वीकार किया जाकर वाद वादी व प्रतिवादीगण का प्रतिवाद इसी स्तर पर विड्रो फरमाया जाकर खारिज किया जाता हैं। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 मय प्रतिवादी संख्या 2 को निरन्तर आवाजे दिलवाई गई। समय सांय 5:00 हो चुके है। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 मय प्रतिवादी संख्या 2 अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 मय प्रतिवादी संख्या 2 अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी का प्रतिवाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
क कलक्टर
(F मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:35:40 IST
Reason: SelfAttested